

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल संख्या :- 141/2019

—: आदेश :—

दिनांक :- 05.08.2020

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नई कोठी की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के हाल खाता संख्या 174 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	नई कोठी	174	प्रभाता पुत्र हनुमान	भाताराम पुत्र हनुमान

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि पर रहन या स्थगन हो तो रहन मुक्त होने/स्थगन आदेश हटने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

05/08/20

(शिवापल जाट)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 611-12

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया भाताराम पुत्र हनुमान जाति गुर्जर निवासी नई कोठी को सूचनार्थ।

दिनांक :- 05.08.2020

उपखण्ड अधिकारी  
खेतड़ी (झुंझुनूं)



05/08/2020

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी  
खेतड़ी (झुंझुनूं)

